

तारीख
हुक्म


16.8.22

पत्रावली चेका हुई। सरकारी चैरोकर उपस्थित। निप्राणी ग्राम पंचायत खारडी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का जवलोकन किया प्राणी द्वारा खारडी के ख.जं. 382/347 रकबा 4950 वर्ग मी. जोन्चर किस्म में से रकबा 1.1 बीघा भूमि में चल रहे शस्त्रे को जी.मु. शस्त्रे के रूप में दर्ज कराने का निवेदन किया।

प्राणी द्वारा भूमि किस्म जी.ड. जोन्चर से शस्त्रा उपस्थित किया गया है। जी.मु. जोन्चर प्रतिबंधित श्रेणी के अन्तर्गत आती है जिसकी किस्म परिवर्तन का संपादक इल न्यायलय को प्राप्त नहीं है। अतः प्राणी पत्र पोषणीय नहीं देने से इली स्ट्रेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेलत सुमार होकर नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर है।


उप खांड अधिकारी
(SDO) बालोतरा